

उत्तर प्रदेश मेडिकल कौंसिल

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड लखनऊ-226001

दिनांक : 12/05/2020

अति आवश्यक/ महत्वपूर्ण

सेवा में,

डीन / प्रधानाचार्य

समस्त मेडिकल कॉलेज,

उत्तर प्रदेश

विषय - लॉकडाउन के कारण वर्तमान में विशेष परिस्थितियों में इंटरनशिप पूर्ण होने के बाद स्थायी पंजीकरण (परमानेंट) रजिस्ट्रेशन कराने हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया इस कार्यालय के दिनांक 27/04/2020 एवं उपरोक्त विषयक पत्र का संदर्भ लेने का कष्ट करें। जिसके द्वारा समस्त मेडिकल कॉलेज को सूचित किया गया था कि कोविड -१९ के संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश मेडिकल कौंसिल द्वारा स्थायी पंजीकरण (परमानेंट) रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। किसी भी छात्र/छात्रा को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है।

इस सन्दर्भ में यह भी अवगत कराया था की समस्त मेडिकल कॉलेज अपने यहाँ के इंटरनशिप पूर्ण कर चुके छात्रों की सत्यापित सूची उ० प्र० मेडिकल कौंसिल की ईमेल आई-डी पर भेज दें। जिसके अनुसार पूर्ण आवेदनों का परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया जा सके। तत्पश्चात् लॉक डाउन की अवधि समाप्त होने के उपरांत रजिस्ट्रार महोदय के डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रति ईमेल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी।

इस सम्बन्ध में आपको अवगत करना है कि इंटरनशिप पूर्ण कर चुके छात्रों की सत्यापित सूची आपके द्वारा यदि अभी तक इस कार्यालय को नहीं भेजी गई है तो अविलम्ब उ० प्र० मेडिकल कौंसिल की ईमेल आई-डी upmedicalcouncil@upsmfac.org पर भेजने का कष्ट करें, जिससे कि आपके छात्रों के परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया जा सके।

संलग्नक:

भवदीय,

1. कार्यालय द्वारा दिनांक 27/04/2020 निर्गत पत्र।

रजिस्ट्रार

उ० प्र० मेडिकल

उत्तर प्रदेश मेडिकल कौंसिल

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड लखनऊ-226001

दिनांक : 27/04/2020

अति आवश्यक/ महत्वपूर्ण

सेवा में,

डीन / प्रधानाचार्य

समस्त मेडिकल कॉलेज,

उत्तर प्रदेश

विषय - लॉकडाउन के कारण वर्तमान में विशेष परिस्थितियों में इंटरनशिप पूर्ण होने के बाद स्थायी पंजीकरण (परमानेंट) रजिस्ट्रेशन कराने हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

समस्त मेडिकल कॉलेज को निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश मेडिकल कौंसिल द्वारा स्थायी पंजीकरण (परमानेंट) रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में आपको अवगत करना है कि इंटरनशिप प्रारम्भ होने के पूर्व आस्थाई (प्रोविजनल) पंजीकरण की भांति स्थाई पंजीकरण कि भी सुविधा प्रारम्भ कर दी जाए। अतः आपसे अनुरोध कि निम्नलिखित दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

१- समस्त छात्रों / छात्राओं के हस्ताक्षर एवं फोटो निर्धारित फार्म पर (काउंसिल की वेब साइट पर उपलब्ध है) प्राचार्य के हस्ताक्षर से प्रमाणित।

२- इंटरनशिप कम्प्लीशन सर्टिफिकेट डीन/प्रधानाचार्य द्वारा हस्ताक्षरित एवं मोहर से प्रमाणित कराकर अपलोड करें। समस्त छात्रों / छात्राओं के हस्ताक्षर, फोटो एवं इंटरनशिप कम्प्लीट सर्टिफिकेट डीन/प्रधानाचार्य द्वारा हस्ताक्षरित एवं मोहर से प्रमाणित कराकर ही अपलोड करें, जिससे आपके कॉलेज के छात्रों/छात्राओं का स्थायी पंजीकरण (परमानेंट) रजिस्ट्रेशन किया जा सके।

समस्त मेडिकल कॉलेज अपने यहाँ के इंटरनशिप पूर्ण कर चुके छात्रों की सत्यापित सूची 30 प्र० मेडिकल कौंसिल पर ईमेल कर दें। यदि सत्यापन एवं सूची में कोई त्रुटि होती है तो कालेज स्वयं जिम्मेदार होगा और ऐसी दशा में काउंसिल किसी भी स्तर पर रजिस्ट्रेशन निरस्त कर सकती है।

इस सन्दर्भ में यह भी अवगत कराना है की कोविड -१९ के संक्रमण को देखते हुए किसी भी छात्र/छात्रा को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है तथा उन्हें अपने स्थायी पंजीकरण (परमानेंट) रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन करना है। आवेदन पूर्ण होने पर उन्हें परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया जायेगा। तत्पश्चात् लॉक डाउन की अवधि समाप्त होने के उपरांत रजिस्ट्रार महोदय के डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रति ईमेल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी।

भवदीय,

रजिस्ट्रार

30 प्र० मेडिकल